जीवो जीवस्य जीवनम्

MADHYA PRADESH STATE BIODIVERSITY BOARD
मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

(Statutory, Autonomous and Regulatory Body of Govt. of M. P. | म. प्र. शासन की वैधानिक, स्वायत्त एवं नियामक संस्था)

क्रमांक / जैविबो / सहा.स.स.(सी.एण्ड.डी)136 / 2019–20 / 26 भोपाल दिनांक 3.1.20

प्रति,

समस्त,
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला............................... म.प्र.

विषयः–प्रदेश में स्थानीय निकाय जनपद पंचायत स्तर पर लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण बावत।

संदर्भः– लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल का पत्र क्रमांक / विद्या / टी / जैवविविधता / 2019–20 / 2747 भोपाल दिनांक 20.12.2019 के संदर्भ में।

उपरोक्त विषय में जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 41 एवं मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 23 के अंतर्गत स्थानीय निकाय स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन प्रावधानित है। **स्थानीय निकाय स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समितियों द्वारा** भारत सरकार के जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 22 (6) एवं मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 23(9) के प्रावधानों के अंतर्गत **लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण किया जाना है।**

इस परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में समस्त जनपद पंचायत स्तर पर विद्यालयों के सहयोग से लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण किया जाना है। लोक जैवविविधता पंजी निर्माण हेतु आयुक्त, लोक शिक्षण भोपाल द्वारा सहमति प्रदान की गई है। (संलग्न–1)

जिलें के विद्यालय जहाँ कि जैवविविधता विषय आधारित विषय–विशेषज्ञ शिक्षक / प्राध्यापक पदस्थ हो ऐसे विद्यालयों द्वारा लोक जैवविविधता पंजी निर्माण कार्य हेतु लघु परियोजना प्रस्ताव बोर्ड को दिनांक 15.01.2020 तक प्रेषित किये जा सकते है। जनपद पंचायत स्तर पर लोक जैवविविधता पंजी के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा विद्यालयों को प्रस्ताव के आधार पर अधिकतम वित्तीय सहयोग राशि रु. 1.00 लाख प्रदान किया जायेगा। पंजी निर्माण की प्रक्रिया एवं प्रस्ताव प्रारूप परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। लोक जैवविविधता पंजी के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रारूप बोर्ड की वेबसाईट **www.mpsbb.nic.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार प्रदेश में स्थानीय निकाय जनपद पंचायत स्तर पर लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण हेतु निर्धारित प्रारूप में बोर्ड को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हेतु जिलें के समस्त विद्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(आर.श्रीनिवास मूर्ति)
सदस्य सचिव

पृष्ठा. पत्र क्रमांक / जैविबो / सहा.स.स.(सी.एण्ड.डी)136 / 2019–20 / 27 भोपाल दिनांक 3.1.20

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल (म.प्र.)
2. समस्त, मुख्य वन संरक्षक व पदेन संयुक्त सदस्य सचिव, वनवृत्त/प्रोजेक्ट टाईगर वन विकास निगम.............................. (म.प्र.)।
3. समस्त, कलेक्टर (म.प्र.)।
4. समस्त, वनमण्डलाधिकारी व पदेन सहायक सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड, सामान्य वन मण्डल.. (म.प्र.)।
5. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत..जिला..................(म.प्र.)।
6. समस्त, संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण (म.प्र.)।
7. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत..जिला..................(म.प्र.)।
8. सहायक सदस्य सचिव, (प्रशा. / वित्त), मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव

NBA -39\PBR 2019-20\PBR Template\PBR Proposal\Soft copy word\Letter to DEO.docx

26, Kisan Bhawan, Ist Floor, Arera Hills, Bhopal 462011 |26, किसान भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011
Phone No. 0755-2554539, 2554549, 2764911 Fax No. 0755-2764912
Website - www.mpsbb.nic.in, Email ID - mpsbb@mp.gov.in

लोक शिक्षण संचालनालय

गौतम नगर, भोपाल, म0प्र0

दूरभाष : 91–0755–2583650– फेक्स –2583651,

ई–मेल **dpividhya@gmail.com**

क्रमांक / विद्या / टी / जैवविविधता / 2019–20 / 2747 भोपाल, दिनांक 20.12.2019.

प्रति,

सदस्य सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड
भोपाल म.प्र.

विषयः–लोक शिक्षण विभाग अंतर्गत विद्यालयों के सहयोग से लोक जैवविविधता पंजी (People Biodivrsity Register) का निर्माण बावत्।

संदर्भः– मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल एकल नस्ती क. दिनांक 30.10.2019

––00––

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा जैवविविधता प्रबंधन समितियों के स्तर पर लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस हेतु प्रदेश के समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में पदस्थ वानिकी, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान एवं एन्टोमोलॉजी में न्यूनतम स्नातकोत्तर शिक्षको को लोक जैवविविधता पंजी निर्माण में तकनीकी सहयोग चाहा गया है।

इस कार्य हेतु लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा संबंधित विद्यालय एवं किसी भी शिक्षक को किसी भी प्रकार का वित्तीय सहयोग प्रदान नहीं किया जायेगा एवं न ही किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत किया जावेगा। यह कार्य शिक्षको द्वारा शैक्षणिक कार्य प्रभावित किए वगैर संपादित किया जावेगा।

लोक जैवविविधता पंजी निर्माण हेतु विद्यालयीन विशेषज्ञ शिक्षको की सहमति एवं विद्यालयों के परियोजना प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा विद्यालय को परियोजना राशि प्रदान की जायेगी।

तदनुसार लोक जैवविविधता पंजी निर्माण हेतु विद्यालयों को प्रस्ताव तैयार कर बोर्ड को प्रेषित करने एवं सबंधित शिक्षको को पंजी निर्माण में तकनीकी सहयोग किए जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठां. पत्र क्रमांक / क्रमांक / विद्या / टी / जैवविविधता / 2019–20 / 2748 भोपाल, दिनांक 20.12.2019

प्रतिलिपिः–

1. समस्त, कलेक्टर, (म.प्र.)
2. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग (म.प्र.)
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी, (म.प्र.) की ओर लेख है कि **संबंधित विद्यालय एवं किसी भी शिक्षक को किसी भी प्रकार का वित्तीय सहयोग प्रदान नहीं किया जायेगा एवं न ही किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत किया जावेगा। शिक्षको द्वारा शैक्षणिक कार्य प्रभावित किए वगैर लोक जैव विविधता पंजी निर्माण में स्वैच्छिक सहयोग प्रदान किया जावेगा।**

AMS (BD)

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

म. प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड 5131 23.12.19